प्रेस नोट 01- दिनांक 17.09.2024

थाना बिहार, जनपद उन्नाव।

अवैध पटाखा बनाने व बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

भारी मात्रा में अवैध पटाखा व पटाखा बनाने का सामान बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा अवैध पटाखा बनाने व बेचने वाले अभियुक्त को बने भारी मात्रा में अवैध पटाखों व पटाखा बनाने का सामान बरामद कर गिरफ्तार किया गया।।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 16.09.2024 को उ0नि0 नरेन्द्र सिंह , हे0का0 सईद अहमद , कां0 अमित कुमार व का0 मनोज कुमार थाना बिहार जनपद उन्नाव द्वारा अवैध कच्ची पटाखों की बिक्री, निष्कर्षण व परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए निरन्तर चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत ग्राम तेवरिया व आसपास सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम तेवरिया में अभियुक्त अबरार पुत्र असलम उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम तेवरिया थाना बिहार जनपद उन्नाव को अवैध पटाखों की बिक्री करते हुए जिसमें अभियुक्त अबरार को 01 प्लास्टिक की झोले में 200 पीस मिर्ची पटाखा,एक प्लास्टिक की बोरी में 60 पीस अनार,सूती बाती (पलीता) 500 पीस, एक प्लास्टिक की बोरी में सुतली,एक प्लास्टिक की बोरी में सफेद धागा, एक प्लास्टिक की बोरी में खुल्ले कागज 10 प्लास्टिक की बोरी में खलिया अनार मिट्टी के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 220/24 धारा 5/9बी विस्पोटक अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अबरार पुत्र असलम उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम तेवरिया थाना बिहार जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण

01 प्लास्टिक की झोले में 200 पीस मिर्ची पटाखा,एक प्लास्टिक की बोरी में 60 पीस अनार,सूती बाती (पलीता) 500 पीस, एक प्लास्टिक की बोरी में सुतली,एक प्लास्टिक की बोरी में सफेद धागा, एक प्लास्टिक की बोरी में खुल्ले कागज 10 प्लास्टिक की बोरी में खलिया अनार मिट्टी बरामद

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1.उ0नि0 नरेन्द्र सिंह थाना बिहार।

2.हे0कां0 सईद अहमद थाना बिहार ।

3.कां0 अमित कुमार थाना बिहार।

4.का0 मनोज कुमार थाना बिहार।

प्रेस नोट 02- दिनांक 17.09.2024

थाना बिहार, जनपद उन्नाव।

दहेज हत्या में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा दहेज हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया।।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 15.09.224 को वादी श्री दिनेश पुत्र कल्लू निवासी ग्राम दोकन्हा थाना खीरो जिला रायबरेली द्वारा थाना बिहार पर तहरीरी सूचना दी गई कि मेरी पुत्री सोनाली उम्र 19 वर्ष की दहेज में एक लाख रूपये व एक मोटर साइकिल की माँग को लेकर फाँसी लगाकर सुसरालीजन द्वारा हत्या कर दी गई। जिसके सम्बन्ध में वादी दिनेश द्वारा मु0अ0सं0 219/2024 धारा 85 / 80 BNS व 3 /4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 17.09.2024 को थाना बिहार पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त दीपक कुशवाह पुत्र संकठा उर्फ शंकरभाई उम्र करीब 23 वर्ष निवासी गौरा थाना बिहार जिला उन्नाव (मृतका का पति) को बिहार मौरावां रोड पर ग्राम गौरा तिराह के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दीपक कुशवाह पुत्र संकठा उर्फ शंकरभाई उम्र करीब 23 वर्ष निवासी गौरा थाना बिहार जिला उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1.उ0नि0 कृष्णेन्द्र कुमार

2.हे0कां0 गुफरान बेग

प्रेस नोट 03- दिनांक 17.09.2024

थाना अजगैन, जनपद उन्नाव।

आत्महत्या के दुष्प्रेरण का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।।

संक्षिप्त विवरण- थाना क्षेत्र अजगैन के ग्राम पाली में दिनांक 12.09.2024 की रात्रि करीब 10.45 बजे पर मृतिका दीपिका सिंह उम्र करीब 34 वर्ष अपने घर में छत के पंखे से दुपट्टे से फन्दा लगाकर आत्म हत्या कर लेने के सम्बन्ध में आवेदक श्री अभिषेक सिंह s/o श्री राजेश बहादुर सिंह निवासी ग्राम पाली थाना अजगैन जनपद उन्नाव से प्राप्त लिखित तहरीर सूचना फौती के आधार पर मृतिका दीपिका सिंह के शव को कब्जे में लेकर पंचायनामा कराया गया तथा मृतिका के मायके पक्ष के आवेदक श्री आशू सिंह पुत्र राजू सिंह निवासी ग्राम मऊ चैना थाना सण्डीला जनपद हरदोई के तहरीर पर मु0अ0सं0 276/2024 धारा 85/80 BNS व 3/4 डी0पी0 एक्ट पंजीकृत कर विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी हसनगंज महोदय के सुपुर्द हुई। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 80 BNS से धारा 108 BNS में तरमीम हुई। आज दिनांक 17.09.2024 को थाना अजगैन पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अभिषेक सिंह पुत्र श्री राजेश बहादुर सिंह नि0 पाली थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 34 वर्ष को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभिषेक सिंह पुत्र श्री राजेश बहादुर सिंह नि0 पाली थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 34 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1.प्र0नि0 अवनीश कुमार सिंह

2.का0 रोहित कुमार

प्रेस नोट 04- दिनांक 17.09.2024

थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव।

नाबालिग किशोरी को भगा ले जाने वाला अभियुक्त व उसका साथी गिरफ्तार, अपहृता सकुशल बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा नाबालिग किशोरी को भगा ले जाने वाला अभियुक्त को उसके साथी सहित गिरफ्तार किया गया तथा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरण- थाना अचलगंज पर दिनांक 14.09.24 को वादी की पुत्री को जबरदस्ती भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 292/2024 धारा 191(2), 333, 137(2),142 BNS पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 17.09.2024 को थाना अचलगंज पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्तगण 1. जिबरान पुत्र स्व0 अली जान नि0 ग्राम हडहा थाना अचलगंज उन्नाव उम्र 20 वर्ष 2. मुशीर खान पुत्र मजीद खान उम्र 30 वर्ष नि0 ग्राम भोजपुर थाना खीरो जनपद रायबरेली को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.जिबरान पुत्र स्व0 अली जान नि0 ग्राम हडहा थाना अचलगंज उन्नाव उम्र 20 वर्ष

2. मुशीर खान पुत्र मजीद खान नि0 ग्राम भोजपुर थाना खीरो जनपद रायबरेली उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. व0उ0नि0 विनय कुमार यादव
2. का0 प्रवीण चौरसिया
3. का0 ओमनरायण
4. का0 संजय भाटी
5. का0 अमरजीत
6. म0आ0 रूबी सिंह

UNNAO POLICE

प्रेस नोट 05- दिनांक 17.09.2024

थाना मौरावां, जनपद उन्नाव।

हत्या के प्रयास एवं उपद्रव करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावां पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास एवं उपद्रव करने वाले 05 अभियुक्तों को घटना मे प्रयुक्त 01 अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर तमंचे की नाल में खुसा हुआ बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 13.09.2024 को ग्राम भवानीगंज मे वादी श्री जावेद अहमद पुत्र जमील अहमद नि0 ग्राम भवानीगंज थाना मौरावां उन्नाव से विपक्षीगण 1. सुल्ली उर्फ शमसुद्दीन पुत्र करीमउल्ला 2. जलालू उर्फ जलालुद्दीन पुत्र करीमउल्ला 3. अनवर पुत्र इनायत 4. मैनूद्दीन पुत्र जलालू उर्फ जलालुद्दीन 5. गुलाम पुत्र नफीस अहमद 6. इरफान पुत्र रसूल बक्श नि0गण ग्राम भवानीगंज थाना मौरावां उन्नाव 7. अंसार पुत्र नूरू नि0 ग्राम कुदरा थाना मौरावां, उन्नाव तथा 8. पीर गुमाल पुत्र हसीन अहमद नि0ग्राम हडहा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव के मध्य मस्जिद के मौलवी को रखने व हटाने के विवाद को लेकर आपस में मारपीट की घटना घटित हो गयी थी जिसमें प्रथम पक्ष के लोगो को अधिक चोटे आ गयी थी प्रथम पक्ष के जावेद अहमद पुत्र जमील अहमद नि0 उपरोक्त के प्रार्थना पत्र के आधार मु0अ0सं0 437/2024 धारा 191(2)191(3)190/115(2)/ 352/351(3)/109(1) व बढोत्तरी धारा 3(5)/238 बीएनएस व 7 C.L.A. Act तथा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सुल्ली उर्फ शमसुद्दीन आदि 7 नफर पंजीकृत किया गया । मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. सुल्ली उर्फ शमशुद्दीन पुत्र करीमउल्ला ग्राम भवानीगंज थाना मौरावां, उन्नाव उम्र 42 वर्ष 2.जलालुद्दीन पुत्र करीमउल्ला निवासी भवानीगंज थाना मौरावां, उन्नाव उम्र 58 वर्ष 3. मैनुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन निवासी भवानीगंज थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र 24 वर्ष 4. गुलाम वारिस पुत्र नफीस निवासी भवानीगंज थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र 25 वर्ष 5. अंसार पुत्र स्व0 नूरू निवासी ग्राम कुदरा थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र 33 वर्ष फरार चल रहे थे। आज दिनांक 17.09.2024 को थाना मौरावां पुलिस द्वारा अभियुक्त गण सुल्ली उर्फ शमशुद्दीन, जलालुद्दीन, मैनुद्दीन, गुलाम वारिस, अंसार उपरोक्त को मोतेश्वर तिराहा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त सुल्ली उर्फ शमशुद्दीन की निशा देही पर झाडी बहद ग्राम भवानीगंज से घटना मे प्रयुक्त 01 अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद

खोखा कारतूस .315 बोर तमंचे की नाल में खुसा हुआ बरामद किया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. सुल्ली उर्फ शमशुद्दीन पुत्र करीम-उल्ला ग्राम भवानीगंज थाना मौरावां, उन्नाव उम्र 42 वर्ष
2. जलालुद्दीन पुत्र करीम-उल्ला निवासी भवानीगंज थाना मौरावां, उन्नाव उम्र 58 वर्ष
3. मैनुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन निवासी भवानीगंज थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र 24 वर्ष
4. गुलाम वारिस पुत्र नफीस निवासी भवानीगंज थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र 25 वर्ष
5. अंसार पुत्र स्व0 नूरु निवासी ग्राम कुदरा थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र 33 वर्ष

बरामद माल का विवरण

अभियुक्त सुल्ली उर्फ शमशुद्दीन की निशा देही पर घटना मे प्रयुक्त 01 अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर तमंचे की नाल में खुसा हुआ बरामद

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री अशोक कुमार दुबे
2. उ0नि0 श्री गोपाल गोबिन्द तिवारी
3. हेड कां0 अशोक कुमार यादव
4. हेड कां0 राधेश्याम
5. कां0 राम चन्द्र
6. कां0 तरून सिंह